



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17102026-277270
CG-DL-E-17102026-277270

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 624]
No.624]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 16, 2026/आश्विन 24, 1948
NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 16, 2026/ASVINA 24, 1948

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग
अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर, 2026

चिकित्सा शिक्षा मानकों के रखरखाव विनियम, 2023 - अधिसूचना निरस्तीकरण

फा. सं. लीगल/NMC/Misc/2026/22.—एनएमसी राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, 2019 (2019 का 30) की धारा 10, 24, 25 और 57 के साथ पठित सामान्य खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग एतद्वारा चिकित्सा शिक्षा विनियम, 2023 के मानकों के रखरखाव (एमएसएमईआर-2023), जिसे अधिसूचना संख्या एफ. सं. एन-पी016/1/2023-पीजीएमईबी-एनएमसी दिनांक 19 सितंबर, 2023 के माध्यम से अधिसूचित किया गया था और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, संख्या 652, दिनांक 21 सितंबर, 2023 में प्रकाशित हुआ था, को तत्काल प्रभाव से हटाया जाता है।

2. इस अधिसूचना के हटाए जाने के बावजूद, वार्षिक प्रकटीकरण रिपोर्ट (एडीआर) प्रस्तुत करने की आवश्यकता राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, 2019 की धारा 24(झ) और 25(ज) तथा समय-समय पर लागू विनियमों के अनुसार प्रभावी बनी रहेगी।

3. संक्रमणकालीन और व्यावृत्ति उपबंध: चिकित्सा शिक्षा विनियम, 2023 के मानकों के रखरखाव के अधिसूचना से हटाए जाने के बावजूद, निम्नलिखित पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा:

(क) उक्त विनियमों के अधिसूचना से हटाए जाने की तारीख से पूर्व, उनके अधीन विधिवत की गई अथवा की गई मानी जाने वाली कोई भी कार्रवाई;

(ख) उक्त विनियमों के अधिसूचना से हटाए जाने की तारीख से पूर्व, उन विनियमों के तहत विधिवत रूप से प्रदान किया गया कोई भी अनुमोदन, नवीनीकरण, आदेश, निर्णय या निर्देश;

(ग) उक्त विनियमों के अधिसूचना से हटाए जाने की तारीख से पूर्व, अर्जित, उपार्जित अथवा अधिरोपित कोई भी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व या जवाबदेही;

घ) उनकी अधिसूचना से हटाए जाने की तारीख से ठीक पूर्व लंबित कोई भी आवेदन, कार्यवाही, अपील, जांच या अन्य मामला, जहाँ तक लागू हों, उक्त विनियमों के प्रावधानों के अनुसार और इस अधिसूचना के प्रावधानों के अधीन जारी रखा जाएगा और उसका निपटारा किया जाएगा;

बशर्ते कि अधिसूचना से हटाए जाने की तारीख को या उसके बाद उत्पन्न होने वाले किसी भी मामले पर राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, 2019 और उस समय प्रवृत्त वैधानिक और विनियामक प्रावधानों द्वारा लागू होगा।

4. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

डॉ. राघव लंगर, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./393/2026-27]

NATIONAL MEDICAL COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th October, 2026

MAINTENANCE OF STANDARDS OF MEDICAL EDUCATION REGULATIONS, 2023 - DE-NOTIFICATION

F. No. Legal/NMC/Misc/2026/22.— In exercise of the powers conferred by section 10, 24, 25 and 57 of the National Medical Commission Act, 2019 (30 of 2019), read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), the National Medical Commission hereby de-notifies the Maintenance of Standards of Medical Education Regulations, 2023 (MSMER-2023) which was notified vide Notification No. F. No. N-P016/1/2023-PGMEB-NMC dated 19th September, 2023 and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 652, dated 21st September, 2023, with immediate effect.

2. Notwithstanding such de-notification, the requirement of furnishing the Annual Disclosure Report (ADR) shall continue to operate in accordance with Section 24(i) and 25(h) of the National Medical Commission Act, 2019 and the regulations applicable from time to time.

3. **Transitional and Saving clause:** Notwithstanding the de-notification of the Maintenance of Standards of Medical Education Regulations, 2023 shall not affect-

(a) any action duly taken or purported to have been taken under the said Regulations before the date of their de-notification;

(b) any approval, renewal, order, decision or direction duly granted, issued or made under the said Regulations before the date of their de-notification;

(c) any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under the said Regulations before the date of their de-notification;

(d) any application, proceeding, appeal, inquiry or other matter pending immediately before the date of their de-notification, which shall be continued and disposed of in accordance with the provisions of the said Regulations, insofar as applicable, and subject to the provisions of this Notification:

Provided that any matter arising on or after the date of de-notification shall be governed by the provisions of the National Medical Commission Act, 2019 and the statutory and regulatory provisions in force at the relevant time.

4. This Notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

DR. RAGHAV LANGER, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./393/2026-27]